



373

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्र०क० R 6291/16

R 1111 - I - 16

नूरखॉ पुत्र नबाब खॉ जाति मुसलमान
निवासी ग्राम नावली बडा गॉव तहसील व
जिला मुरैनाआवेदक

श्री श्रीमान श्रीमान श्रीमान
द्वारा आज 5/12/16 को
प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1-निसार खॉ पुत्र नबाब खॉ जाति
मुसलमान निवासी ग्राम घुरघान तहसील व
जिला मुरैना

2-मुस० सक्को पुत्री दरयाव खॉ जाति
मुसलामन निवासी ग्राम जारौनी तह० व
जिला मुरैना

3-भीकमसिंह पुत्र अजद्वी प्रसाद

4-मिथलेश पत्नी भीकमसिंह

दोनों जाति लोदे राजपूत निवासी ग्राम
महेवा का पुरा तह० व जिला मुरैना

5-मुन्शी खॉ पुत्र नबाब खॉ जाति
मुसलमान निवासी ग्राम नावली बडागॉव
तह० व जिला मुरैना

.....अनावेदक

निगरानी आदेश विरुद्ध आदेश दिनांक 16/03/2011

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार वृत्त 5 तहसील

मुरैना के प्र०क० 01/06-07*अ/27 निगरानी

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है -

1- यह कि ग्राम नावली बडागॉव तह० व जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्र०
1890, 1891, 1922, 2885, 3882, 3883 के आवेदक व अनावेदक गण सहस्वामी
होकर आधिपत्यधारी है।

2- यह कि आवेदक व अनावेदक क्र० 5 द्वारा उक्त खाते का बटबारा हेतु आवेदन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4141-एक/16

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	